

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ० राजेश गोयल आर०१०१०१०१०)

प्रकरण संख्या – 107/2020 – निगरानी

- | | | |
|--|------|---|
| 1. बालूलाल पुत्र रामेश्वर लाल शर्मा
ब्राह्मण निवासी बड़ा महुआँ
तहसील व जिला भीलवाड़ा | बनाम | 1. रोशन लाल पुत्र श्रवण कुमार
खारीवाल निवासी बड़ा महुआँ
तहसील व जिला भीलवाड़ा. |
| 2. दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल
शर्मा निवासी बड़ा महुआँ तहसील
व जिला भीलवाड़ा | | 2. ग्राम पंचायत बड़ा महुआँ जरिये
सरपंच, ग्राम पंचायत बड़ा महुआँ
तहसील व जिला भीलवाड़ा |
- निगराकार
- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज० पंचायत राज अधिनियम विरुद्ध आदेश
पट्टा पत्रावली सं० 01 संवत् 2041 फैसल दिनांक 25-04-84

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री मुकेश बापना अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.01.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बड़ा महुआँ में गैर निगराकार सं० 02 के तत्कालिन सरपंच जो कि गैर निगराकार सं० 01 के रिश्तेदार होने से गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में विधि विरुद्ध व अवैध तौर जारीशुदा पट्टा प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य हैं। वर्ष 1983, 84 व 85 के समय गैर निगराकार सं. 01 के अंकल केसरीमल खरीवाल ग्राम पंचायत बड़ा महुआँ के सरपंच रहें थे। तथा गैर निगराकार सं० 01 के नाम तत्समय आबादी भूमि में पट्टा सं० 06, 07 एवं उक्त विवादित पट्टा जारी किये गये तथा पट्टा सं० 06 व 07 में वर्णित भूमि पर निर्माण करने का प्रयास करने पर अर्थात् उजागर होने पर उक्त दोनों ही पट्टे अवैध व विधिविरुद्ध होने से वर्ष 1988 में न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सा० भीलवाड़ा के यहाँ प्रकरण सं० 1/1988 निगरानी बअनवान रामेश्वर लाल बनाम रोशन लाल खारीवाल दर्ज हो कर दिनांक 26-12-1988 को निस्तारित फरमायी गयी। उक्त निगरानी प्रकरण में निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमा रोशन लाल के नाम जारीशुदा पट्टों को खारीज फरमाया गया। गैर निगराकार ने अब एक और तथाकथित पट्टा उजागर करते हुवें उक्त पट्टे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद श्री मान् ग्राम न्यायालय सुवाणा में प्रस्तुत किया कि निगराकारगण उसके भूखण्ड पर निर्माण कार्य कर रहें हैं, जिन्हें रोका जावें। गैरनिगराकार सं० 01 की ओर से प्रस्तुत वाद में गैर निगराकार सं० 01 के नाम उक्त



तथाकथित पट्टा जरिये मिसल सं० 01 संवत् 2041 दिनांक 25-04-84 को ग्राम पंचायत

अति. जिला कलेक्टर
भीलवाडा

बड़ा महुआ द्वारा जारी किया जाना वर्णित किया गया हैं। तथाकथित पट्टे को आधार बना गैरनिगराकार सं० 01 ने निगराकारगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड पट्टा सं० 35 के में वर्णित पडौसान पर स्थापित होना बताया जा रहा हैं। जबकि निगराकारगण को धारा 157 "ख" राज० पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत जारीशुदा पुराने गृहों का का पट्टा जरिये मिसल सं० 17 वर्ष 2008-2009 दायरी तारीख 09-04-2008 के तहत निर्धारित शुल्क 200/- रू० नगद जमा कर ग्राम पंचायत महुआ द्वारा निगराकारगण के स्व० पिता श्री रामेश्वर लाल ब्राह्मण के नाम जारी किया गया हैं। इस प्रकार गैर निगराकार सं० 01 के नाम संवत 2041 में जारीशुदा सभी पट्टे रिश्तेदार संरपच द्वारा एवं अवैध तौर रास्ते व नाले की भूमि पर जारी किये जाने से खारीज फरमा दिये गये। जिस भूमि आराजी सं० 1371 में समस्त जारीशुदा पट्टे अलग अलग प्रकरण निगरानियां दर्ज हो निगरानियां स्वीकार होने से सभी व्यक्तियों को जारीशुदा पट्टे सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज फरमा दिये गये। और उस समय गैर निगराकार सं० 01 द्वारा उक्त तथाकथित पट्टे को उजागर नहीं किया अथवा उक्त पट्टा बाद में पुरानी दिनांक को बिना विधिवत् प्रक्रिया अपनाये जारीशुदा हैं। क्योंकि उक्त तथाकथित पट्टे से संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत बड़ा महुआ में उपलब्ध नहीं हैं। आराजी सं० 1371 नाला की भूमि व व रास्ते की भूमि होने से तत्कालिन संरपच द्वारा जारी किये समस्त पट्टे सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज फरमा दिये गये। इस प्रकार उक्त तथाकथित पट्टा जिसके कोई भूखण्ड सं० अथवा पट्टा संख्या वर्णित नहीं हैं। और उक्त पट्टा भी अवैध व विधि विरुद्ध होने से खारीज होने योग्य हैं। प्रथम तो गैरनिगराकार सं० 01 के नाम के पट्टे में जो पडौस दर्जशुदा हैं वह मौके पर निगराकारगण के नाम जारीशुदा पट्टा में वर्णित पडौसों से मिलाप नहीं होता हैं। तथा जिस प्रकार गैरनिगराकार सं० 01 के नाम उक्त अलौच्य पट्टे में पडौस वर्णित किये उस अनुसार संवत 2041 अथवा वर्तमान में एकजायी नहीं होते हैं। जहाँ निगराकारगण के नाम जारीशुदा पट्टा जो कि धारा 157 "ख" पंचायत राज अधि. के तहत जारीशुदा हैं अर्थात् उक्त धारा में पट्टा पुराना 50 वर्ष से निरन्तर अबाध्य तौर चले आ रहें, कब्जे के आधार पर पुश्तैनी जायदाद का दिया जाता हैं। तथा उक्त धारा में पट्टा जारी करने हेतु शुल्क भी निश्चित व निर्धारित हैं। इस प्रकार निगराकारगण के पिता के नाम ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008 में जारी किया गया पट्टा की भूमि पर विगत 50 वर्ष से यानि कि वर्ष 1968 से कब्जा होने से जारी किया गया हैं। जबकि वर्ष 1968 से निगराकारगण का कब्जा उनके नाम जारीशुदा पट्टे वाले भूखण्ड पर स्थापित हो चला आ रहा होने से न तो गैरनिगराकार सं० 01 का कब्जा ही हो सकता था और न ही उनके नाम इन पडौसान का पट्टा ही जारी किया जा सकता था। फिर भी गैरनिगराकार सं० 01 ने गलत पडौसान के पट्टे को निगराकारगण के पट्टे की भूमि पर जबरन अपने पट्टे की भूमि बतायी जा कर ग्राम न्यायालय सुवाणा में सिविल वाद प्रस्तुत किया हैं और वर्तमान में मौके पर विवाद किया जा रहा हैं। और उक्त अवैध व विधिविरुद्ध पट्टे के आधार पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा हैं। इस प्रकार मौके की परिस्थितियों के विपरीत होने से गैरनिगराकार सं० 01 के नाम विवादित पट्टा अपास्त होने योग्य हैं। यदि एक क्षण के



अति. जिला कलक्टर
भिलवाड़ा


लिये यह माना भी जावे कि गैरनिगराकार सं० 01 के नाम कोई पट्टा विधिनुरूप जारी किया गया है तो इतनी लम्बी समयावधि तक गैरनिगराकार सं० 01 पट्टे को ले कर छिपा कर चुपचाप बिना कब्जा किये कैसे चुप रहा है। केवल मात्र अचानक वर्ष 2017 में सिविल वाद प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार उक्त पट्टे में वर्णित अनुसार यदि पट्टा फेक्ट्री लगाने हेतु वर्ष 1984 तत्समय संवत् 2041 में पट्टा जारी किया गया तो अब तक करीबन 35 वर्ष हो जाने के बाद भी फेक्ट्री क्योंकर नहीं लगायी है। इस प्रकार उक्त पट्टा केवल सरपंच रिश्तेदार होने से बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये ही खाली प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर कर फर्जी तौर कूटरचना कर तैयार किया गया है। अन्यथा इतनी लम्बी समयावधि तक तो सामान्यतया व्यक्ति कम से कम अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर चारदिवारी बाउण्ड्री वॉल का निर्माण तो करवा ही लेता। लेकिन मौके पर गैरनिगराकार सं० 01 का कोई कब्जा नहीं है, कोई चारदिवारी बाउण्ड्री वॉल भी निर्मित नहीं की है। अर्थात् कोई फेक्ट्री नहीं है। और इस कारण भी गैरनिगराकारगण सं० 01 के नाम जारीशुदा पट्टा खारीज होने योग्य है। गैरनिगराकार सं० 01 के नाम उक्त जारीशुदा कथाकथित पट्टा का जो प्रारूप वर्ष 1984 का होना बताया जा कर ग्राम पंचायत बड़ा महुआँ द्वारा जारीशुदा वर्णित किया जा रहा है लेकिन वर्ष 1984 में जो अन्य पट्टे जारी किये गये उन पट्टों का प्रारूप इस तथाकथित पट्टे के प्रारूप से बिलकूल भिन्न है। जबकि एक ही वर्ष व मिसल सं० 01 व 05 में ज्यादा अन्तर नहीं है तथा उक्त मिसल पत्रावलियों के जो पट्टे जारी किये जाने पर एक ही प्रारूप ही सामान्यतया ग्राम पंचायत में रहता और पट्टे जारी किये जाते तथा उस वर्ष जारीशुदा अन्य पट्टों पर नीचे सचिव के हस्ताक्षर हो रखे हैं और जबकि उक्त विवादित पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर के स्थान पर कोई हस्ताक्षर सचिव के नहीं है। इससे भी स्पष्ट होता है कि विवादित पट्टा तत्समय जारी नहीं किया गया और बाद में अवैध तौर फर्जीयात कर खाली प्रोफार्मा को अपने अकंल से भरवा कर हस्ताक्षर करवा लिये क्योंकि वर्तमान में मौके पर कई लोगों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं। और स्वयं निगराकारगण के उक्त कब्जेशुदा व पट्टे वाले भूखण्ड के आस पास अन्य व्यक्तियों के पट्टे जारी कर दिये जाने से जिस साईज का भूखण्ड गैर निगराकार सं० 01 द्वारा बताया जा रहा है वह केवल निगराकारगण के भूखण्ड की साईज में मौके पर स्थापित नहीं किया जा सकता है निगराकारगण के भूखण्ड की साईज से गैरनिगराकारगण के तथाकथित पट्टे की साईज काफी बड़ी होने से स्थापित होना असंभव है और निगराकारगण के आस पास पट्टेधारियों पर कोई कार्यवाही आज दिन तक गैर निगराकारगण द्वारा नहीं किये जाने से यही प्रकट होता है कि गैर निगराकारगण का तथाकथित पट्टा फर्जी होने से अपास्त होने योग्य है। गैरनिगराकार सं० 01 के नाम जारीशुदा उक्त तथाकथित पट्टे से संबंधित रेकार्ड जैसे कि पत्रावली मिसल सं० 1 संवत् 2041, संवत् 2041 की पट्टा बही, रोकड बही, ग्राम पंचायत का बैठक रजिस्टर इत्यादि की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत बड़ा महुआँ में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो ग्राम पंचायत द्वारा उक्त संवत् साल का रेकार्ड, मिसल व पट्टा बही अन्य संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी गयी



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

हैं। यदि गैर निगराकारगण सं० 01 के नाम विधिवत् तौर पट्टा जारी किया जाता तो उससे संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में अवश्य उपलब्ध होता। जबकि इसी साल संवत् में ग्राम पंचायत बड़ा महुआ द्वारा स्वयं गैर निगराकार सं० 01 के नाम जारीशुदा अन्य पट्टा सं० 06 व 07 जो कि बाद में खारीज हुआ, का रेकार्ड उपलब्ध हैं। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् तौर विवादित पट्टा गैर निगराकारगण के नाम जारी नहीं किया गया है। और उक्त अवैध व फर्जी पट्टे की आड़ में गैर निगराकार सं० 01 निगराकारगण को नाजायज तौर परेशान कर रहा है और निगराकार के भूखण्ड पर जबरन काबिज होना चाहता है। गैर निगराकार सं० 01 के नाम उक्त तथाकथित पट्टे वाली भूमि की साईज क्षेत्रफल 300 बाई 100 वर्ग फिट होना दर्शाया गया। जबकि इस संवत् वर्ष 1984-85 में ग्राम पंचायत द्वारा अन्य भूखण्ड की साईज 25 बाई 30, के भूखण्ड की निलामी राशि 1001 /- रू० बतायी गयी है तथा एक और भूखण्ड साईज 30 बाई 95 वर्ग फिट की निलामी मुल्य राशि 4,851 /- रू० होना बतायी गयी है, इतने अधिक क्षेत्रफल 300 बाई 100 वर्गफिट का मुल्य केवल मात्र 1001 /- रू० कतई नहीं हो सकता है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि गैर निगराकार सं० 01 नाम उक्त तथाकथित जारीशुदा पट्टा फर्जी तौर कूटरचना कर केवल अपने रिश्तेदार होने से तैयार किया गया है। अर्थात् उक्त पट्टा विधिवत् जारीशुदा नहीं है। और ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र के क्षेत्रफल से अधिक का पट्टा होने से पंचायत समिति से अनुमोदनशुदा भी नहीं है। हरएक दृष्टिकोण से उक्त विवादित पट्टे को परखने पर गैर निगराकार सं० 01 के नाम गैर निगराकारगण सं० 02 द्वारा जारीशुदा उक्त विवादित पट्टा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 255 से 269 तक की पालना भी नहीं की गयी है। उक्त नियमों के तहत ग्राम पंचायत को आबादी भूमि विक्रय करने प्रावधान विहित है। जैसे कि नियम 256 में जो व्यक्ति आबादी भूमि खरीदना चाहता है उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना, नियम 257 में नक्शा तैयार करवाया जाना, नियम 258 में पंचायत संकल्प प्रस्ताव ले कर किन्हीं 03 पंचों द्वारा स्थल निरीक्षण करवाती है, नियम 260 में सूचना पत्र जारी किया जाता, नियम 261 में ऑपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं, नियम 262 में निलामी का प्रावधान है, इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने से उक्त तथाकथित पट्टा अवैध व विधि विरुद्ध जारीशुदा होने से अपास्त होने योग्य है और इन्हीं आधारों पर गैर निगराकार सं० 01 के नाम जारीशुदा अन्य पट्टे भी खारीज हुए हैं। कानूनन निगरानी हेतु कोई समयावधि विहित नहीं है लेकिन कानूनी एताराजात को रफा करने दिनांक 25-04-84 से 12-03-2018 तक की समयावधि को क्षमित कराये जाने हेतु अलग से आवेदन धारा 05 मियाद अधि० मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना है कि निगरानी निगराकारगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बड़ा महुआ द्वारा जारीशुदा पट्टा, पत्रावली सं० 01 संवत् 2041 फैसल दिनांक 25-04-84 बहक रोशन कुमार खारीवाल को खारीज फरमाया जावे ।




 अति. जिला कलक्टर
 भीलवाड़ा

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दिनांक 05.

04.2018 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर

महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाडा में दिनांक 21.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम बड़ा महुओं में गैर निगराकार सं० 01 के नाम तत्समय आबादी भूमि में पट्टा सं० 06, 07 एवं उक्त विवादित पट्टा जारी किये गये तथा पट्टा सं० 06 व 07 में वर्णित भूमि पर निर्माण करने का प्रयास करने पर अर्थात् उजागर होने पर उक्त दोनों ही पट्टे अवैध व विधिविरुद्ध होने से वर्ष 1988 में न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सा० भीलवाडा के यहाँ प्रकरण सं० 1/1988 निगरानी बअनवान रामेश्वर लाल बनाम रोशन लाल खारीवाल दर्ज हो कर दिनांक 26-12-1988 को रोशन लाल के नाम जारीशुदा पट्टों को खारीज फरमाया गया। गैर निगराकार ने अब एक और तथाकथित पट्टा उजागर करते हुवे उक्त पट्टे के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद श्री मान् ग्राम न्यायालय सुवाणा में प्रस्तुत किया कि निगराकारगण उसके भूखण्ड पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिन्हें रोका जावे। गैरनिगराकार सं० 01 की ओर से प्रस्तुत वाद में गैर निगराकार सं० 01 के नाम उक्त तथाकथित पट्टा जरिये मिसल सं० 01 संवत् 2041 दिनांक 25-04-84 को ग्राम पंचायत बड़ा महुआ द्वारा जारी किया जाना वर्णित किया गया है। तथाकथित पट्टे को आधार बना गैरनिगराकार सं० 01 ने निगराकारगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड पट्टा सं० 35 के में वर्णित पडौसान पर स्थापित होना बताया जा रहा है। जबकि निगराकारगण को धारा 157 "ख" राज० पंचायत राज अधिनियम 1996 के तहत जारीशुदा पुराने गृहों का का पट्टा जरिये मिसल सं० 17 वर्ष 2008-2009 दायरी तारीख 09-04-2008 के तहत निर्धारित शुल्क 200/- रु० नगद जमा कर ग्राम पंचायत महुओं द्वारा निगराकारगण के स्व० पिता श्री रामेश्वर लाल ब्राह्मण के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार गैर निगराकार सं० 01 के नाम संवत् 2041 में जारीशुदा सभी पट्टे रिश्तेदार संरपच द्वारा एवं अवैध तौर रास्ते व नाले की भूमि पर जारी किये जाने से खारीज फरमा दिये गये। जिस भूमि आराजी सं० 1371 में समस्त जारीशुदा पट्टे अलग अलग प्रकरण निगरानियां दर्ज हो निगरानियां स्वीकार होने से सभी व्यक्तियों को जारीशुदा पट्टे सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज फरमा दिये गये। निगराकारगण के पिता के नाम ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2008 में जारी किया गया पट्टा की भूमि पर विगत 50 वर्ष से यानि कि वर्ष 1968 से कब्जा होने से जारी किया गया है। जबकि वर्ष 1968 से निगराकारगण का कब्जा उनके नाम जारीशुदा पट्टे वाले भूखण्ड पर स्थापित हो चला आ रहा होने से न तो गैरनिगराकार सं० 01 का कब्जा ही हो सकता था और न ही उनके नाम इन पडौसान का पट्टा ही जारी किया जा सकता था। फिर भी गैरनिगराकार सं० 01 ने गलत पडौसान के पट्टे को निगराकारगण के पट्टे की भूमि पर जबरन् अपने पट्टे की भूमि बतायी जा कर ग्राम न्यायालय सुवाणा में सिविल वाद प्रस्तुत किया है और वर्तमान में मौके पर विवाद



अति. जिला कलेक्टर
भीलवाडा

किया जा रहा है। और उक्त अवैध व विधिविरुद्ध पट्टे के आधार पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार मौके की परिस्थितियों के विपरीत होने से गैरनिगराकार सं० 01 के नाम विवादित पट्टा अपास्त होने योग्य है। यदि एक क्षण के लिये यह माना भी जावे कि गैरनिगराकार सं० 01 के नाम कोई पट्टा विधिनुरूप जारी किया गया है तो इतनी लम्बी समयावधि तक गैरनिगराकार सं० 01 पट्टे को ले कर छिपा कर चुपचाप बिना कब्जा किये कैसे चुप रहा है। केवल मात्र अचानक वर्ष 2017 में सिविल वाद प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार उक्त पट्टे में वर्णित अनुसार यदि पट्टा फेक्ट्री लगाने हेतु वर्ष 1984 तत्समय संवत् 2041 में पट्टा जारी किया गया तो अब तक करीबन 35 वर्ष हो जाने के बाद भी फेक्ट्री क्योंकर नहीं लगायी है। इस प्रकार उक्त पट्टा केवल सरपंच रिश्तेदार होने से बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये ही खाली प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर कर फर्जी तौर कूटरचना कर तैयार किया गया है। अन्यथा इतनी लम्बी समयावधि तक तो सामान्यतया व्यक्ति कम से कम अपने पट्टेशुदा भूखण्ड पर चारदिवारी बाउण्ड्री वॉल का निर्माण तो करवा ही लेता। लेकिन मौके पर गैरनिगराकार सं० 01 का कोई कब्जा नहीं है, कोई चारदिवारी बाउण्ड्री वॉल भी निर्मित नहीं की है। अर्थात् कोई फेक्ट्री नहीं है। और इस कारण भी गैरनिगराकारगण सं० 01 के नाम जारीशुदा पट्टा खारीज होने योग्य है। उक्त विवादित पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर के स्थान पर कोई हस्ताक्षर सचिव के नहीं हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि विवादित पट्टा तत्समय जारी नहीं किया गया और बाद में अवैध तौर फर्जीयात कर खाली प्रोफार्मा को अपने अकंल से भरवा कर हस्ताक्षर करवा लिये क्योंकि वर्तमान में मौके पर कई लोगों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं। और स्वयं निगराकारगण के उक्त कब्जेशुदा व पट्टे वाले भूखण्ड के आस पास अन्य व्यक्तियों के पट्टे जारी कर दिये जाने से जिस साईज का भूखण्ड गैर निगराकार सं० 01 द्वारा बताया जा रहा है वह केवल निगराकारगण के भूखण्ड की साईज में मौके पर स्थापित नहीं किया जा सकता है निगराकारगण के भूखण्ड की साईज से गैरनिगराकारगण के तथाकथित पट्टे की साईज काफी बड़ी होने से स्थापित होना असंभव है। गैरनिगराकार सं० 01 के नाम जारीशुदा उक्त तथाकथित पट्टे से संबंधित रेकार्ड जैसे कि पत्रावली मिसल सं० 1 संवत् 2041, संवत् 2041 की पट्टा बही, रोकड बही, ग्राम पंचायत का बैठक रजिस्टर इत्यादि की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत बड़ा महुआँ में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो ग्राम पंचायत द्वारा उक्त संवत् साल का रेकार्ड, मिसल व पट्टा बही अन्य संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी गयी है। यदि गैर निगराकारगण सं० 01 के नाम विधिवत तौर पट्टा जारी किया जाता तो उससे संबंधित रेकार्ड ग्राम पंचायत में अवश्य उपलब्ध होता। जबकि इसी साल संवत् में ग्राम पंचायत बड़ा महुआँ द्वारा स्वयं गैर निगराकार सं० 01 के नाम जारीशुदा अन्य पट्टा सं० 06 व 07 जो कि बाद में खारीज हुआ, का रेकार्ड उपलब्ध है। गैर निगराकार सं० 01 के नाम उक्त तथाकथित पट्टे वाली भूमि की साईज क्षेत्रफल 300 बाई 100 वर्ग फिट होना दर्शाया गया। जबकि इस संवत् वर्ष 1984-85 में ग्राम पंचायत द्वारा अन्य भूखण्ड की साईज 25 बाई 30, के भूखण्ड की



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निलामी राशि 1001 /- रू0 बतायी गयी हैं तथा एक और भूखण्ड साईज 30 बाई 95 वर्ग फिट की निलामी मुल्य राशि 4,851/- रू0 होना बतायी गयी हैं, इतने अधिक क्षेत्रफल 300 बाई 100 वर्गफिट का मुल्य केवल मात्र 1001/- रू0 कतई नहीं हो सकता हैं। इससे भी यह स्पष्ट होता हैं कि गैर निगराकार सं0 01 नाम उक्त तथाकथित जारीशुदा पट्टा फर्जी तौर कूटरचना कर केवल अपने रिश्तेदार होने से तैयार किया गया हैं। अर्थात उक्त पट्टा विधिवत् जारीशुदा नहीं हैं। और ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र के क्षेत्रफल से अधिक का पट्टा होने से पंचायत समिति से अनुमोदनशुदा भी नहीं हैं। प्रार्थना हैं कि निगरानी निगराकारगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बड़ा महुआ द्वारा जारीशुदा पट्टा, पत्रावली सं0 01 संवत 2041 फैसल दिनांक 25-04-84 बहक रोशन कुमार खारीवाल को खारीज फरमाया जावें।

गैर निगराकार सं. 01 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में गैर निगराकार के द्वारा ग्राम न्यायालय सुवाणा में उक्त पट्टा पत्रावली सं0 1 सम्वत 2041 दिनांक 25-08-84 के संदर्भ में वादपत्र एवं स्थगन प्रार्थनापत्र अवमानना कार्यवाही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके वादपत्र सं0 22/2017 ई०दी० एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र 22/2017 मु०दी० एवं अवमानना कार्यवाही का प्रार्थनापत्र क्रमांक 3/2018 मु०दी० प्रस्तुत किया हुआ है। प्रकरण में सिविल जज साहब, ग्राम न्यायालय सुवाणा के द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 29-06-2017 को वादग्रस्त सम्पति को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित फरमाये हुए है। प्रकरण में निगराकार के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही किए जाने से श्रीमान् न्यायालय के समक्ष यह निगरानी पेश की है, जिससे यह चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रकरण सिविल जज साहब, ग्राम न्यायालय, सुवाणा में विचाराधीन है एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित फरमाये है, जिससे उक्त प्रकरण को इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी को इसी स्टेज पर ग्राम न्यायालय सुवाणा में उक्त वाद विचाराधीन होने से एवं न्यायालय द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने से खारिज किए जाने का आदेश फरमाया जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत बड़ा महुआ (महुआ कला) पंचायत समिति सुवाणा द्वारा पत्रांक/ग्रा.प.ब.म. 2018-19/37 दिनांक 30.04. 2018 में अंकन किया गया कि वांछित पत्रावली संख्या 01 संवत् 2041 के ग्राम पंचायत में नही पायी गयी है, केवल मात्र प्रकरण से संबंधित कुछ फोटोप्रति दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि प्रश्नगत बापी पटटे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं। बिना सचिव हस्ताक्षर के पट्टा जारी होना वैसे भी नियमानुसार सही नहीं ठहराया जा सकता हैं। प्रश्नगत पटटे पर अंकित नक्शा अनुसार पटटे का क्षेत्रफल 300 फीट बायी 100 फीट कुल 30000 वर्गफीट का जारी किया जाना इंगित होता हैं।

जबकि पंचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (1) में ग्राम पंचायत को



अति. जिला कलक्टर
भिलवाड़ा


अधिकतम 300 वर्ग गज यानि 2700 वर्गफीट भू भाग में निर्मित पुश्तैनी मकान के लिये पट्टा जारी करने के विधिक अधिकार है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया पुश्तैनी मकान का पट्टा नियमों में दी गयी व्यवस्थाओं के विरुद्ध निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल का जारी किया गया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है। प्रश्नगत पट्टे की फोटोप्रति में तलिया फैक्ट्री लगाने हेतु बापी पट्टा जारी होना अंकित है, जबकि प्रश्नगत पट्टे पर वर्ष 1984-85 से अब तक फैक्ट्री स्थापित किये जाने संबंधि कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। न ही गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा ऐसे कोई ठोस प्रमाण पत्रावली पर पेश किये गये जिससे जाहिर होता हो कि प्रश्नगत पट्टे पर गैर निगराकार संख्या 01 का कब्जा हो, फैक्ट्री स्थापित कर रखी हो, मूल पट्टा भी गैर निगराकार संख्या 01 के द्वारा पेश नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव -

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बडा महुआ की पट्टा पत्रावली सं. 01 फैसल दिनांक 25.04.1984 गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी उक्त बापी पट्टा को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भीलवाडा